रजिस्टर्ड नं० ल-33/एस०एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 11 जुलाई, 1992/20 आषाढ़, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जून, 1992

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 31/92.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव स्टेशन वार्ड छोटा शिमला, तहसील व जिला शिमला में परिधि गृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

1520-राजपत्र/92-11-7-92—1,213. (2319) मूल्य : 1 रुपया ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्रधिकार देते है ।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (प्र0) शहरी, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील : शिमला

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र वर्ग मीटरों में
स्टेशन वार्ड		
छोटा शिमला (खतौनी	1318	137 1-63
नम्बर 135)	1320	78-78
	1322	3-08
	1323	217 16
	1325	194-66
	1326	188-13
	1327	113-27
	1328	47-50
	1329	346-48
	1330	134-38
	1331	43-71
	1332	50-40
	1333	2919-31
	133 6	10-35
	1337	3458-90
किस्सा .. 15		9177-74
(खतौनी नम्बर-136)		
	1319	629-32
	1321	109-07
	1324	216-88
किस्सा .. 3		955-27
कुल किस्सा .. 18		10133-01

आदेश द्वारा,
आयुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण);
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 30 जून 1992

संख्या 1-1/84-परि0.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त धारा की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों के समस्त राज्य में प्रयोग और निर्वहन हेतु निम्नलिखित रूप में राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करते हैं :

सरकारी सदस्य :

1. सचिव (परिवहन)	अध्यक्ष
2. निदेशक परिवहन	सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

3. श्री मोहन लाल विधायक	सदस्य
4. डा0 शिव कुमार, विधायक	सदस्य
5. श्री दीनानाथ शास्त्री, विधायक	सदस्य
सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण	सचिव ।

सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसमें केवल सचिव के रूप में ही कार्य करेंगे तथा प्रशासनिक और दफ्तरी कामकाज में भी पूर्ण सहायता करेंगे ।

उपरोक्त विधान सभा सदस्यों की सदस्यता केवल एक वर्ष के लिए होगी ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता बाद में निर्धारित किया जायेगा ।

शिमला-2, 30 जून, 1992

संख्या 1-1/84-परि0.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त धारा की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों के अपने-अपने क्षेत्र में प्रयोग और निर्वहन हेतु निम्नलिखित रूप में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों शिमला, मण्डी व धर्मशाला का गठन करते है :

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शिमला

सरकारी सदस्य :

1. मण्डलायुक्त, शिमला	अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री भगत राम चौहान, विधायक	सदस्य
2. श्री सुरेश भारद्वाज, विधायक	सदस्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	सचिव

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मण्डी

सरकारी सदस्य :

1. मण्डलायुक्त, मण्डी	अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :

2. डा0 लश्करी राम राठौर विधायक	सदस्य
3. श्री कर्मदेव धर्माणी विधायक	सदस्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मण्डी	सचिव

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धर्मशाला

सरकारी सदस्य :

1. मण्डलायुक्त धर्मशाला	अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :

2. श्री दूलो राम, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती सुषमा शर्मा, विधायिका	सदस्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	सचिव ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इसमें केवल सचिव के रूप में ही कार्य करेंगे तथा प्रशासनिक और दफ्तरी कामकाज में भी पूर्ण सहायता करेंगे ।

उपरोक्त विधान सभा सदस्यों की सदस्यता केवल एक वर्ष के लिए होगी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता बाद में निर्धारित किया जाएगा।

एस0 के0 सूद,
आयुक्त एंव सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

स्थानीय स्वायत्त प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 1992

संख्या एल0 एस0 जी0 एफ0 (6)-1/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1979 की धारा 434 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव संख्या 3(6) दिनांक 13-3-92 को

तुरन्त निलम्बित करते हैं क्योंकि नगर निगम के उक्त प्रस्ताव में नियत की गई कार्रवाई से जरूरतमन्द लोगों को अन्याय होने की सम्भावना है जिससे जन साधारण के एक वर्ग को क्षोभ होगा, जो सामाजिक न्याय प्राप्त करने का हकदार है और सरकार ऐसे हितबद्ध जन साधारण के वैध हितों को सुरक्षित करने के लिए एक विस्तृत नीति बनाना चाहती है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of Notification No. LSG-F*(6)1/90, *dated* 18-5-1992].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 18*th May*, 1992

No. LSG-F(6)1/90.—In exercise of the powers conferred on him under section 434 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to suspend the resolution No. 3(6), dated 13-3-1992 with immediate effect because the action stipulated in the said resolution of Municipal Corporation Shimla is likely to cause injustice and thereby annoyance to a group of people who as a social group deserve justice and the Government intends to frame a broader policy for allotment to accommodate the legitimate interests of the genuinely needy sections of public interested in such allotment.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर

अधिसूचना

हमीरपुर, 30 जून, 1992

संख्या एफ0 एस0 ए0/3-41/87-3487-3538.—मैं, एस0 एम0 कटवाल, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम परचून व थोक विक्रय मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश होर्डिंग तथा प्रोफिटियरिंग प्रिवेनशन आदेश, 1977 जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-ए0-3 (2) 77, दिनांक 30-10-1980 द्वारा संशोधित हैं की धारा 3 (1) (ई0) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के सभी करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं :—

क्रम संख्या	आदेश के शेडयूल अनुसार वस्तु क्रमांक	आवश्यक वस्तु का नाम	सभी करों सहित अधिकतम परचून बिक्री दर	
			थोक दर	परचून दर
1	2	3	4	5
			रु0 पै0	रु0 पै0
1.	2 (I)	डबल रोटी 400 ग्राम मोमजामी कागज में पैक व काटी हुई।	3.10	3.25
		(i) 800 ग्राम	5.70	6.00

1	2	3	4	5
			रु0 पै0	रु0 पै0
		(II) डबल रोटी 400 ग्राम जिला व राज्य से बाहर बनी हुई मोमजामी कागज में बन्द ।	3.20	3.50
		(i) 800 ग्राम	6.50	7.00
2.	12.	मीट/चिकन/मछली :		
		(1) मीट प्रति किलोग्राम	—	38.00
		(2) मुर्गा साफ किया हुआ प्रति किलोग्राम		36.00
		(3) ब्राईलर साफ किया हुआ प्रति किलोग्राम		38.00
		(4) कच्ची मछली प्रति किलोग्राम		26.00
		(5) मछली कड़ाही में तली हुई प्रति किलोग्राम		44.00
		(6) मछली तवा पर तली हुई प्रति किलोग्राम		48.00
3.	13	अण्डे :		
		1. थोक भाव/लाभांश	3 प्रतिशत	—
		2. परचून लाभांश	—	6 प्रतिशत
4.	17	होटल/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना :		
		1. पूरी खुराक दाल, चावल व चपाती सहित एक सब्जी ।	—	8.00
		2. स्पैशल सब्जी, चना, गोभी, पालक, राजमाह, मटर, भिण्डी आदि ।	—	7.00 रु0 प्रति प्लेट
		3. मटर पनीर, पालक पनीर	—	7.00 " "
		4. चावल परमल	—	4.00 " "
		5. चपाती तन्दूरी	—	0.60 प्रति एक
		6. चपाती तवा	—	0.50 "
		7. मीट पक्का हुआ	—	14.00 रु0 प्रति प्लेट
		8. चिकन कड़ी प्रति प्लेट	—	16.00
		9. दो पुरी सब्जी व दही के साथ	—	3.50
		10. दाल फ्राईड प्रति प्लेट	—	4.00
		11. दही रायता 200 ग्राम	—	4.00
		12. परांठा सादा प्रति	—	2.00
		13. परांठा सटफड	—	2.50
		14. चिल्ली चिकन प्रति किलो	—	60.00
5.	18.	दूध, दही व पनीर :		
		1. कच्चा दूध ग्वालों द्वारा दिया हुआ प्रति लीटर	—	6.00
		2. टोण्ड दूध और ठण्डा दूध थैलियों में जो हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ द्वारा तथा दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है प्रति लीटर ।	—	8.00

1	2	3	4	5
		3. (1) दूध उबला हुआ लोकल प्रति लीटर	—	6.50
		(2) दूध उबला हुआ थैली का		8.50
		4. दूध लोकल चीनी डाल कर उबला हुआ प्रति लीटर	—	7.00
		5. दूध थैली का उबला हुआ व चीनी डालकर प्रति लीटर	—	9.00
		6. दही प्रति किलो	—	9.00
		7. पनीर कच्चा प्रति किलो	—	40.00
6.	20.	ठण्डे पेय जल :		
		1. लिम्का थम्ज अप, माजा सैवन अप, लैहर; पैप्सी कोला, सिटरा लैहर सैवन अप (चिल्ड) प्रति बोतल ।	—	4.50
		II. अन चिल्ड :	—	3.90
		2. कैम्पा कोला, आरिप औरन्ज (चिल्ड) प्रति बोतल	— 4.50	
		अनचिल्ड	3.90	
		3. सोडा चिल्ड बाहर से प्राप्त प्रति बोतल	— 3.25	
		1. लोकल फिल्ड :		
			चिल्ड प्रति बोतल	अनचिल्ड
		1. 7 स्टार, औरन्ज, लिम्का इत्यादि	3.00	2.50
		2. लिम्का लैमन, प्रति बोतल	2.75	2.25
		3. लैमन सोडा प्रति बोतल	2.00	1.75
7.		मिठाइयां :		
		1. बालुशाही खुरमे खजूर प्रति किलोग्राम	—	28.00
		2. लड्डू मोतीचूर प्रति किलोग्राम	—	26.00
		3. पिन्नीयां अमरतियां प्रति किलोग्राम	—	30.00
		4. लड्डू मोटी बून्दी प्रति किलोग्राम	—	24.00
		5. बून्दी प्रति किलोग्राम	—	24.00
		6. बदाना शक्करपारे प्रति किलोग्राम	—	24.00
		7. मेसू प्रति किलोग्राम	—	30.00
		8. बर्फी सादी खोए की प्रति किलोग्राम	—	40.00
		9. रसगुले, गुलाब जामुन, छैना इत्यादि प्रति किलोग्राम	—	34 00
		10. मिल्क केक, कलाकन्द प्रति किलोग्राम	—	48.00
		11. बेसन प्रति किलोग्राम	—	28.00
		12. पेठा प्रति किलोग्राम	—	24.00
		13. जलेबी तेल की बनी हुई प्रति किलोग्राम	—	20.00
		नमकीन ।		
		1. मटर, सेवियां, पकौड़े फलोरियां प्रति किलोग्राम		28.00
		2. मठियां प्रति किलोग्राम		28.00

1	2	3	4	5
			रु0 पै0	रु0 पै0
		3. मिक्स दाल प्रति किलोग्राम	--	28.00
		4. समोसा प्रति पीस	--	1.00
		5. समोसे चने डाल कर प्रति प्लेट	--	4.00
		6. ब्रैड पकौड़ा प्रति पूरा पीस	--	1.00

उपरोक्त निर्धारित दरें हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह तक लागू रहेंगी।

नोट.--सभी परचून/ढाबा व होटल्ज वाले अपनी दुकान से बाहर ग्राहक के ज्ञान हेतु मूल्य सूची स्पष्ठ रूप से प्रदर्शित करेंगे जोकि स्याही से लिखी होनी चाहिए। जिसमें दुकान के मालिक/प्रबन्धक व सहयोगी द्वारा हस्ताक्षर होन चाहिए।

एस0 एम0 कटवाल,
जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, काँगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर द्वारा इस कार्यालय को दी गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के प्रधान श्री बलदेव सिंह, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 और उसके अन्तर्गत बने नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं और उक्त प्रधान अपने ग्राम सभा क्षेत्र के निवासियों से तीन रुपये प्रति राशन कार्ड की दर से राशि वसूल करते रहे हैं जिसको उन्होंने सभा निधि में जमा न करके इसका छलहरण किया है। प्रधान श्री बलदेव सिंह राशन कार्ड एक वर्ष की बजाये 5 वर्ष के लिए जारी करते रहे हैं जो विभागीय आदेशों के विपरीत है।

(2) क्योंकि श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा इसी ग्राम सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 4 से पंच पद के लिए भी निर्वाचित हुए थे और अधिनियम के प्रावधान अनुसार वह केवल एक पद पर ही आसीन रह सकते थे और एक से त्याग पत्र देना उनके लिये अनिवार्य था जोकि उन्होंने नहीं किया अपितु वार्ड नं0 4 के लिए श्री बख्शी चन्द को उक्त वार्ड का पंच मनोनीत कर दिया। जो कि राशन कार्डों पर छपे उक्त पंच के नाम से स्वतः स्पष्ट होता है।

(3) क्योंकि ग्राम पंचायत अन्द्रेटा के प्रधान श्री बलदेव सिंह अनुचित रूप से अपने सभा क्षेत्र में लोगों से स्थानीय खड्डों के रेत, बजरी, पत्थरों का अधिकार शुल्क (रायल्टी) अनाधिकृत रूप से वसूल कर रहे हैं।

अतः मैं, सदृप्त राय, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला इन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 और हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह अपनी स्थिति 7 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट करें कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से छलहरण, दुराचरण अधिनियम और नियम तथा विभागीय आदेशों के उल्लंघन के लिए निलम्बित किया जाए। यदि निर्धारित समय के भीतर-भीतर उक्त प्रधान का स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा तो यह समझा जाएगा कि इन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है और वह लगाए गए आरोपों को मानते हैं।

सदृप्त राय,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

सामान्य प्रशासन विभाग

'ए' अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जून, 1992

नस्ति संख्या जी0 ए डी-ए (बी) 8-2/91-I.—नैगोशिएबल इन्स्ट्रमैन्ट्स ऐक्ट, 1881 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप में हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रदेश में सहकारी बैंकों के लिये क्रमशः वार्षिक तथा अर्ध वार्षिक लेखावन्दी के वास्ते अप्रैल के प्रथम कार्य दिवस तथा सितम्बर के आखरी कार्य दिवस को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित करती है । भविष्य में भी यही आदेश लागू रहेंगे ।

हस्ताक्षरित/-

संयुक्त सचिव, (सा0 प्र0);
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

No.7 /12/92-B.O. III
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(BANKING DIVISION)

'JEEVAN DEEP' BUILDING
SANSAD MARG,
NEW DELHI-110 001
Dated : 20th April, 1992.

To,

The Chief Secretary,
(all State Governments/Union Territories.)

Subject :—Annual/half yearly closing of accounts by the co-operative banks—Declaration of holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881.

Sir,

As you are aware, the accounting year of the co-operative banks in India has been changed from January-December each year to April-March each year. Accordingly, for the year, 1992, it was decided that to enable the banks to close their accounts, the co-operative banks in the whole of India may observe 1st April, 1992 and 30th September, 1992 as Public holidays for the purposes of annual and half yearly closing of accounts respectively. A notification declaring these days as public holidays under the Negotiable Instruments Act was issued *vide* Government of India notification No. 7/12/92-B.O. III, dated 30-03-1992, (copy enclosed for ready reference).

As holydays under the Negotiable Instruments Act are notified by the respective State Governments, the State Governments had earlier declared 30th June, 1992 and 30th December, 1922 as public holidays under the Negotiable Instruments Act in so far as cooprative banks were

concerned. It has now been decided that henceforth, to enable the co-operative banks to close their annual and half yearly accounts respectively 1st day of April (the next working day if this day falls on a Sunday or other public holiday) and 30th September (or the last working day of September each year if 30th day of September falls on a Sunday/closed public holiday) may be declared as 'Public holidays' for this purpose under the Negotiable Instruments Act, 1881. Accordingly, you are requested to (a) rescind the notification, if any, already issued declaring the 30th June, 1992 and the last working day of December, 1992 as the public holidays and (*b*) to note that hence forth the public holidays for the purpose of closing of accounts by the co-operative banks shall be declared as indicated above.

Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(K. G. GOEL),
Director

सं0 7/12/92-बी0 ओ0 III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

"जीवन दीप", संसद मार्ग,
नई दिल्ली,
दिनांक 20 अप्रैल, 1992

सेवा में,

मुख्य सचिव,
(सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र),

विषय :—सहकारी बैंकों द्वारा वार्षिक/अर्ध-वार्षिक लेखे बन्द करना—परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत छुट्टियों की घोषणा।

महोदय,

आप जानते ही हैं कि भारत में सहकारी बैंकों के लेखे वर्ष को प्रत्येक वर्ष जनवरी-दिसम्बर से बदल कर प्रत्येक वर्ष अप्रैल-मार्च कर दिया गया है। तदनुसार वर्ष 1992 के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने लेखों को बन्द कर सकें इसके लिए पूरे भारत में सहकारी बैंक वार्षिक और अर्ध-वार्षिक लेखों को बन्द करने के लिए क्रमशः पहली अप्रैल, 1992 और 30 सितम्बर, 1992 को सार्वजनिक छुट्टियां कर सकते हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत इन दिनों को सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करने की अधिसूचना भारत सरकार की दिनांक 3-3-1992 की अधिसूचना सं0 7/12/92-बी0ओ0 III (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) के तहत जारी की गई थी।

चूंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा छुट्टियाँ अधिसूचित की जाती हैं इसलिए जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत पहले 30 जून, 1992 और 30 सितम्बर, 1992 को सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा कर दी थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात् परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत सहकारी बैंक अपने वार्षिक और अर्ध-वार्षिक लेखों को बन्द करने के लिए क्रमशः अप्रैल के पहले दिन को (यदि यह दिन रविवार या किसी दूसरी सार्वजनिक छुट्टी के दिन पड़ता है तो अगला

कार्य दिवस) और 30 सितम्बर (या प्रति वर्ष सितम्बर का अन्तिम दिन यदि 30 सितम्बर किसी रविवार/सार्वजनिक छुट्टी के दिन पड़ता है) को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित कर सकता है। तदनुसार ही, आपसे अनुरोध है कि (क) 30 जून 1992, और दिसम्बर, 1992 के अन्तिम कार्य दिवस को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में पहले से जारी की गई अधिसूचना, यदि कोई हो, को रद्द कर दें और (ख) यह नोट करें कि इसके पश्चात् सहकारी बैंकों द्वारा लेखों को बन्द करने के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा ऊपर बताए गए अनुसार घोषित की जाएगी।

कृपया पत्र की पावती दें।

भवदीय,
(के0 जी0 गोयल),
निदेशक।

संख्या 7/12/92-बी0ओ0 III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली,
30 मार्च, 1992
दिनांक————————
10 चैत्र, 1914 (शक)

अधिसूचना

का0 आ0 (ई) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा समस्त भारत में सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः वार्षिक तथा अर्ध-वार्षिक लेखाबन्दी के वास्ते अप्रैल, 1992 के पहले दिन तथा सितम्बर, 1992 के 30वें दिन को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित करती है।

भवदीय,
(एन0 एन0 मुखर्जी),
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

———

No. 7/12/92-B.O. III
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(BANKING DIVISION)

NEW DELHI,
30 *March*, 1992
dated————————
10 *Chaitra*, 1914 (*Saka*).

NOTIFICATION

S.O. (E) In pursuance of the powers conferred by section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), the Central Government hereby declares the 1st day of April, 1992 and the 30th day of September, 1992 as public holidays throughout India for the purposes of annual and half-yearly closing of accounts respectively of co-operative banks.

(N. N. MOOKERJEE),
Joint Secretary to the Government of India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।